



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129602

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21101/2026

श्रीमती ओमवतीआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी (गण)

आवेदक के अधिवक्ता : राजेंद्र सिंह यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना-दक्षिण, जिला-फिरोजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 343/2026, अंतर्गत धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतक की सास है। आवेदक ने कभी भी दहेज की कोई मांग नहीं की और न ही मृतक के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। आवेदक, जो एक वृद्ध महिला है, एक विधवा भी है और अपने 3 बेटों से अलग रहती है। जैसा कि जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 17 में कहा गया है, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 16.05.2026 से जेल में बंद है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि उन्हें इस मामले में निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
5. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक वृद्ध महिला है और 16.05.2026 से जेल में है तथा उसके विधवा होने की बात कही गई है, यह न्यायालय इस मामले को आगे और टालना

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उचित नहीं समझता है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर जमानत आवेदन को तय करने के लिए आगे बढ़ा है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
7. मृतक देवकी की मृत्यु 31.03.2026 को मृत्यु-पूर्व फांसी लगाने के परिणामस्वरूप होना कहा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 1.04.2026 को दर्ज की गई है। मृतक के शरीर पर कुछ खरोंचें भी पाई गई हैं, हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं दिखाई देता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार पहिया वाहन और धन की मांग के सामान्य आरोप लगाए गए हैं। आवेदक के बेटे का विवाह वर्ष 2021 में मृतक के साथ संपन्न हुआ था। आवेदक एक विधवा है और अपने 3 बेटों से अलग रहने का दावा करती है। उसका मामला सह-अभियुक्त अमित कुमार, जो मृतक का पति है, से भिन्न स्थिति पर है।
8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक की निरुद्धता की अवधि और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक विधवा है, प्रथम दृष्टया जमानत का मामला बनता है।
9. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक- श्रीमती ओमवती को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:
 - i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगी।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं धमकाएगा और विचारण में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय उनकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचनपत्र के साथ सत्यापित की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

14. यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान जमानत आवेदन को तय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

30 जून, 2026

सचिन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"